क्रम संख्या–015 (क–12)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0
माघ 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
कृषि अनुभाग

संख्या 349/कृषि/2000–2001
देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प0 आ0–020

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 7 और खण्ड 36 के उपखण्ड (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उर्वरक नियंत्रक के पूर्वानुमोदन से राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से मदवार देय शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार करते हैं :

क्र0 सं0	मद	देय शुल्क (रुपयों में)
1	2	3
(क)	उर्वरक मिश्रण जिसमें विशेष मिश्रण सम्मिलित है का विनिर्माण करने के लिये :–	
1.	उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना	1000
2.	उर्वरकों के विशेष मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना	500

1	2	3
3.	उर्वरक के मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में संशोधन	1000
4.	उर्वरक के मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण	200
5.	उर्वरकों के मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण के लिये विलम्ब फीस	100
6.	उर्वरकों के मिश्रण/विशेष मिश्रण के विनिर्माण के लिये रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र की द्वितीय/अतिरिक्त प्रतियों का दिया जाना	100
(ख)	व्यापारियों के लिये :–	
1.	थोक व्यापारियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना	1125
2.	फुटकर व्यापारियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना	625
3.	थोक व्यापारियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण	1125
4.	फुटकर व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण	625
5.	थोक व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए विलम्ब फीस	40
6.	फुटकर व्यापारियों के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के लिये नवीनीकरण विलम्ब फीस	30
7.	थोक व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन	75
8.	फुटकर व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन	15
9.	थोक व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय/अतिरिक्त प्रतियों के लिये फीस	40
10.	फुटकर व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय/अतिरिक्त प्रतियों के लिये फीस	15
11.	कृषि विभाग के बिक्री केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण बिना शुल्क के किया जायेगा	—
(ग)	उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 23 के अधीन अमानक उर्वरक की बिक्री/निस्तारण :– उर्वरक के विक्रय के लिये प्राधिकारी के निर्णयानुसार :	
1.	50 मै0 टन स्टॉक तक	15
2.	50 मै0 टन स्टॉक से अधिक	65

राज्यपाल अग्रेतर आदेश देते हैं कि किसी आवेदक के प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक द्वारा लेखा शीर्षक 0401–कृषि कार्य, 800–अन्य प्राप्तियां–16–उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन फीस की प्राप्तियां कोषागार में चालान के माध्यम से अपेक्षित शुल्क भी जमा कर दी गई है।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English version of the notification no. 349, dated February 13, 2001.

No. 349

Dated Dehradun , February 13, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause 7 and sub-clause (1) of clause 36 of Fertilizer (Control) Order, 1985, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor orders the following item wise fees on the recommendation of Fertilizer Controller with effect from the publication of this notification in Official Gazette:

Sl.No.	Item	Fees Due (In Rs.)
1	2	3
(A)	**For manufacture of fertilizer mixture which includes special mixture:--**	
1.	For issue of Registration Certificate for manufacture of fertilizer mixture	1000
2.	For issue of Registration Certificate for manufacture of special fertilizer mixture	500
3.	For renewal of Registration Certificate for manufacture of fertilizer mixture	1000
4.	For amendment in Registration Certificate for manufacture of fertilizer mixture	200
5.	Late fee for renewal of Registration Certificate for manufacture of fertilizer mixture	100
6.	For issue of duplicate/extra copies of Registration Certificate of manufacture of mixture/special fertilizer mixture	100
(B)	**For Dealers:--**	
1.	For issue of Registration Certificate for wholesale dealers	1125
2.	For issue of Registration Certificate for retail dealers	625
3.	For renewal of Registration Certificate for wholesale dealers ...	1125
4.	For renewal of Registration Certificate for retail dealers	625
5.	Late fee for renewal of Registration Certificate for wholesale dealers ...	40
6.	Late fee for renewal of Registration Certificate for retailers ...	30
7.	For amendment in Registration Certificate for wholesale dealers ...	75
8.	For amendment in Registration Certificate for retailers	15
9.	For issue of duplicate/extra copies of Registration Certificate for wholesale dealers	40
10.	For issue of duplicate/extra copies of Registration Certificate for retailers	15
11.	Registration/Renewal of Certificate for sale points of Agriculture Department will be done without fee	--
(C)	**For sale/disposal of sub standard fertilizer under clause 33 of Fertilizer (Control) Order, 1985 :--**	
	As per decision of authority for sale of fertilizer :	
1.	Upto 50 Metric Ton Stock	15
2.	Above 50 Metric Ton Stock	65

The Governor further orders that before accepting the application form of any applicant, the Registering Authority will ensure that the applicant has deposited in the treasury by way of challan the required fees under receipt Head "0401--Krishi Karya, 800 -- Other Receipt, 16--Receipt Under Fertilizer (Control) Order, 1985".

By Order,

(Dr. R.S. Tolia)
Principal Secretary & Commissioner,
Van Evam Gramya Vikas.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 कृषि/742–2001–150 (कम्प्यूटर)।